न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2016/00281

1. हीरासिंह उर्फ हीरा आत्मज स्व0 रामचन्द्र जाति नायक (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. महेन्द्र सिंह पुत्र हीरासिंह उर्फ हीरा ।
   1/2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र हीरा सिंह उर्फ हीरा ।
   1/3. विरेन्द्र सिंह पुत्र हीरासिंह उर्फ हीरा ।
   1/4. सोहनी बाई पत्नी हीरासिंह उर्फ हीरा निवासीगण कालातालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   1/5. राधा बाई पुत्री हीरासिंह उर्फ हीरा पत्नी लीलाधर नायक निवासी कस्तूर जी की बाडी अन्ता जिला बारां ।
   1/6. रूकमणी पुत्री हीरा सिंह उर्फ हीरा पत्नी ओम प्रकाश ।
   1/7. कुन्ता बाई पुत्री हीरा सिंह उर्फ हीरा पत्नी बृजराज निवासी कालातालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. प्रभू सिंह पुत्र श्योराम ।
2. मुलक राज पुत्र श्योराम ।
3. छीतर सिंह उर्फ शक्ति सिंह जातियान नायक निवासीगण रंगतालाब उर्फ कालातालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. द स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. प्रवीण पुत्र मुलकराज ।
6. दिनेश पुत्र प्रभूसिंह ।
7. विक्रय सिंह आत्मज छीतर सिंह उर्फ शक्ति सिंह ।
8. रघुवीर पुत्र तेजमल जातियान नायक निवासीगण रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री भगवती बल्लभ शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 3 की ओर से ।
3. श्री सी0 पी0 खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 5 से 8 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 09.03.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थी अपीलान्ट (मृतक) हीरासिंह उर्फ हीरा ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 3 के पिता स्वर्गीय श्री श्योराम जी सगे भाई थे जिनका स्वर्गवास दिनांक 30.09.2015 को हो चुका है । दोनों भाईयों की पुश्तैनी खाते काश्त की आराजी खसरा नम्बर 35 की रकबा 0.88 हैक्टर जिसे दोनों भाईयों ने बेचान कर दिया है इसके अलावा खसरा नम्बर 94 की रकबा 0.07 हैक्टर पर दोनों ने मकान बनवा लिये इसके अलावा ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब में कुल 07 किता की रकबा 4.36 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का 1/2– 1/2 हिससा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी के अलावा माफी चाकरी सासरीगिरी जो माफी रिजमसन के बाद वर्तमान खाता में प्रार्थी के बडे भाई श्योराम पुत्र रामचन्द्र नायक के खाते में कुल 04 किता की 5.37 हैक्टर स्थित है । प्रार्थी के बडे भाई श्योराम जी ने अपने जीवनकाल में मद संख्या 03 में वर्णित आराजी कुल 03 किता की रकबा 1.99 हैक्टर की वसीयत दिनांक 13.02.2013 को निष्पादित की और श्योराम की मृत्यु के बाद उक्त वसीयत पंजीबद्ध करवा ली । श्योराम जी की मृत्यु के बाद अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 3 ने वाद दायर करने के बाद दिनांक 02.06.2016 को खाते बंधा ली तथा एक फर्जी वसीयत अप्रार्थी क्रम 5, 6, 7 व 8 ने अन्य अप्रार्थीगणों से मिलकर तैयार कर ली और उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली । उक्त भूमि अप्रार्थीगण के खाते बंध जाने के आधार पर अप्रार्थीगण उक्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल कर उक्त भूमि को बेचान करने पर आमादा है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि मद संख्या 03 में वर्णित आराजी जो प्रार्थी को दिनांक 13.02.2013 की वसीयत से प्राप्त हुई है से प्रार्थी को बेदखल नहीं करें तथा उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द, रहन एवं बेचान नहीं करें । राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 3 व 5 लगायत 8 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10.08.2016 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.08.2016 से व्यथित होकर प्रार्थी (मृतक) हीरा सिंह उर्फ हीरा के कायममुकामान अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय से यह तय कर दिया कि रिकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ स्थगन आदेश पारित नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानने में त्रुटि की है क्योंकि जब नामान्तरकरण की कार्यवाही चल रही थी तब दूसरी वसीयत जो दिनांक 02.09.2015 की है उसके आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही में आपत्तियॉ प्रस्तुत नहीं की है । नामान्तरकरण की कार्यवाही में पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व का निर्धारण कानूनन नहीं हो सकता । नामान्तरकरण एक फिसकल कार्यवाही होने से दी गई खातेदारी पक्षकारों के बीच में नियमित बाद जैरकार होने की अवस्था में कानूनन अमान्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथमदृष्टया प्रकरण का विवेचन किया है वह मात्र वसीयत के आधार पर अधिकार बताये गये हैं वो सभी अधिकार मूल वाद में साक्ष्य के उपरान्त तय होंगे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब में 07 किता की 4.36 हैक्टर आराजी में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा बडे भाई श्योराम के साथ रिकॉर्ड में दर्ज है । पारिवारिक माफी सांसरी गिरी की आराजी श्योराम के खाते में दर्ज हो गई थी । श्योराम ने खसरा नम्बर 510 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 511 रकबा 0.99 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 550 रकबा 0.79 हैक्टर कुल 03 किता रकबा 1.99 हैक्टर आराजी के लिए एक वसीयत दिनांक 13.02.2013 को गवाहों के समक्ष कर नोटेरी से तस्दीक करवायी थी । श्योराम की मृत्यु दिनांक 30.09.2015 को हुई । दिनांक 01.01.2016 को वसीयत पंजीकृत करवायी गई । अप्रार्थीगण प्रार्थी को बेदखल करने लगे । इंतकाल दिनांक 26.05.2016 को दावा दायरी के बाद दिनांक 02.06.2016 को खोलने का आदेश पारित किया गया । उसके बाद रेस्पोडेन्टगण ने कपटपूर्वक एक फर्जी वसीयत रेस्पोडेन्ट कम 05 लगायत 08 के पक्ष में निष्पादित होने का कथन अपने जवाबदावे में किया । अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के विपरीत साक्ष्य के विपरीत निर्णय पारित करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । रेस्पोडेन्ट जिस आधार पर रिकॉर्डेड खातेदार बने हैं वो परिस्थितियॉ संदिग्ध हैं । जब प्रथम वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही चल रही थी तब दूसरी वसीयत के बारे में कोई आपत्ति नहीं की गई । नामान्तरकरण एक फिसकल कार्यवाही होती है जिससे पक्षकारों के अधिकार तय नहीं होते हैं । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट वादीगण के कब्जे में है और कब्जे को सुरक्षित करने के लिए *अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक है । अपीलान्टगण ने लगान पिलाई की रसीदें, शपथ* पत्र एवं बिजली का बिल पेश किया है जिसको नजरअन्दाज किया गया है । अपीलान्ट ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज भी पेश किये हैं । रेस्पोडेन्ट ने जो फर्जकारी की है उसके बाबत् एफ0आई0आर0 दर्ज करवायी गई है और फौजदारी कार्यवाही जैरकार है । इस फौजदारी कार्यवाही में जो जॉच थानाधिकारी रेलवे कॉलोनी ने अतिरिक्त

जिला कलक्टर (शहर) को पेश की है उसमें मौके पर महेन्द्र सिंह वगै0 का कब्जा होने का कथन किया गया है । पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दिनांक 23.11.2018 को जो रिपोर्ट माहनिरीक्षक पुलिस को भेजी गई है उसमें भी कब्जा अपीलान्टगण का बताया गया है । अतिरिक्त संभागीय महोदय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.07.2017 से रेस्पोडेन्ट के पक्ष में खोले गये, नामान्तरकरण को विवादित करार दिया गया है । रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं और विक्रय के लिए इकरारनामा भी लिखा है । नोटेरी के रजिस्टर की प्रति अपीलान्ट ने पेश की है । ऐसी स्थिति में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2016 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएलआर 1988 (1) पेज 850, आरएलडब्ल्यू 1998 (2) पेज 741, आरएलडब्ल्यू 1995 (2) पेज 528, सीसीसी 2006 (2) पेज 685, आरएलडब्ल्यू 2006 (2) पेज 1441, एआईआर 2001 (एससी) पेज 236, आरआरडी 1973 पेज 714, आरबीजे 2004 पेज 610 उद्वरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 3 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी माफी की है और पुश्तैनी नहीं है । श्योराम जो कि रेस्पोडेन्टगण के पिता एवं दादा थे उनके द्वारा सांसरी गिरी का काम करने के कारण उनके खाते में दर्ज हुई थी । श्योराम के पुत्र एवं पौत्र मौजूद थे। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा अपीलान्ट के पिता जो उनके भाई थे उनके पक्ष में वसीयत नहीं की गई थी । अपीलान्ट 2013 में अपने पक्ष में वसीयत होने का कथन करते हैं उसके उपरान्त श्योराम की 2015 में मृत्यु हो चुकी है । वसीयत पंजीबद्ध उनकी मृत्यु के बाद करवायी गई है । वसीयत के जो लाभार्थी हैं उनके द्वारा वसीयत के निष्पादन में एक्टिव पार्ट अदा किया गया है इस कारण वसीयत संदेहास्पद है । तहसीलदार लाडपुरा के द्वारा वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 3 के खाते में दर्ज करने के लिए दिनांक 02.06.2016 को आदेश पारित किया गया है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा रेस्पोडेन्टगण का है । मृत्यु के उपरान्त वसीयत यदि पंजीयन के लिए पेश होती है तो उसको पेश करने वाले का धारा 40 रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार पेश करने के लिए सक्षम होना आवश्यक होता है और धारा 40 के अनुसार सक्षम व्यक्ति के द्वारा पंजीयन के लिए पेश नहीं की गई है । दूसरी वसीयत हो जाने के बाद में प्रथम वसीयत से अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । वसीयत पंजीकृत हो जाने के आधार पर बाद वाली वसीयत जो अपंजीकृत है निष्पादित हो जाने पर प्रथम वसीयत भले ही पंजीकृत हो उससे कोई अधिकार अपीलान्ट को प्राप्त नहीं होते हैं । उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 70 के अनुसार बाद में निष्पादित वसीयत से प्रथम वसीयत निरस्त हो जाती है । फौजदारी मुकदमे के निर्णय सिविल न्यायालय के मुकदमे में एडमिसिवल नहीं होते हैं । वसीयत यदि पंजीकृत हो तो भी उसको प्रमाणित करवाया जाना आवश्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2016 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2006 (1) (राज0) पेज 104, एआईआर 1960 पेज 255, आरआरडी 1984 पेज 391, एआईआर 2004 (राज0) पेज 286, आरआरडी 1997 पेज 30, आरआरडी 1998 पेज 79, आरआरडी 1998 पेज 80, आरआरटी 2013 पेज 415, आरआरडी 2018 (सप्ली0) पेज 484, आरएलडब्ल्यू 2007 (4) पेज 2900, आरआरटी 2013 (1) पेज 123, आरआरटी 2015 (1) पेज 633, डीएनजे 2009

(एससी) पेज 1069, आरआरटी 2007 (1) पेज 723, आरआरडी 2009 (1) पेज 685, डब्ल्यूएलसी 2018 (1) पेज 26 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट क्रम 5 लगायत 8 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण श्योराम के पौते है। उनके पक्ष में एक वसीयत का निष्पादन श्योराम ने किया है जो बाद की वसीयत है । अपीलान्ट सन् 2013 की वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजी में अपना हक निर्धारण कराना चाहते हैं । वादग्रस्त आराजी उनके खाते में दर्ज नहीं है । वसीयत की वैधता राजस्व न्यायालय के द्वारा निर्णित नहीं की जा सकती । अपीलान्ट को सिविल न्यायालय में दावा करना चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2016 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2019 (1) पेज 184, आरआरटी 2008 (1) पेज 241 उद्धरत की ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट ने अपने पक्ष के समर्थन में एफ0आई0आर संख्या 372/2016 की फोटो प्रति, रेलवे कॉलोनी थाने की प्राप्ति रसीद की फोटो प्रति, थाना प्रभारी को तेजकरण एवं अन्य के द्वारा लिखे गये प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति, कुछ फोटोग्राफ, इकरारनामा दिनांक 26.09.2014 की फोटो प्रति और शपथ पत्र शक्तिसिंह और सिंचाई विभाग की रसीदों की फोटो प्रति, मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रति, बिजली के बिल की फोटो प्रति, नामान्तरकरण संख्या 82 की फोटो प्रति, पर्चा खतौनी की फोटो प्रति पेश की हैं ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पेडेन्ट ने के द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में तहसीलदार लाडपुरा के आदेश दिनांक 02.06.2016 की फोटो प्रति, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) के न्यायालय में दर्ज धारा 145 सीआरपीसी इस्तगासे की आदेशिका दिनांक 01.08.2016 की प्रति, इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी की फोटो प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 की फोटो प्रति जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 3 के खाते में दर्ज है ।

13. अपील में उभय पक्षकारान के द्वारा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ कुछ दस्तावेजात पेश किये हैं और उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया है।

14. अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ संलग्न दस्तावेजात में एफ0आई0आर0 संख्या 193/2000 की प्रमाणित प्रति, एफ0आई0आर0 संख्या 205/2020 की प्रमाणित प्रति, एफ0आई0आर0 संख्या 219/2020 की प्रमाणित प्रति, एफ0आई0आर0 संख्या 467/2018 की प्रमाणित प्रति, एफ0आई0आर0 संख्या 413/2016 की प्रमाणित प्रति, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) के आदेश दिनांक 20.02.2017 की फोटो प्रति, पुलिस अधीक्षक कोटा की जॉच रिपोर्ट मय बयन गवाह, मौका रिपोर्ट पटवारी दिनांक 22.11.2018, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय के निर्णय दिनांक 31.05.2017 की फोटो प्रति और नोटेरी रजिस्टर की फोटो प्रति पेश की गई हैं ।

15. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ संलग्न दस्तावेजात में प्रमाणित प्रतिलिपि खाता मौजा संवत् 1993 से 1996 जिसमें रामचन्द्र के दाखिल खारिज होने का नोट अंति है । नकल जमाबन्दी संवत् 1998 से 2000 जिसके अनुसार आराजी माफी सांसरी गिरी से रामचन्द्र के स्थान पर गुलाब पुत्र जमाल खॉ के नाम दर्ज हुई है । नकल जमाबन्दी संवत् 2001 से 2004 के अनुसार आराजी सांसरी गिरी से हुसना बेटा जमाल खॉ के नाम दर्ज हुई है । नकल जमाबन्दी संवत् 2006–09 में भी आराजी सांसरी गिरी हुसना बेटा जमालखॉ के नाम दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2029 से 2057 में श्योराम वल्द रामचन्द्र गैर खातेदार दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2026–2029 में आराजी को माफी चाकरी सांसरीगिरी कब्जा श्योराम दर्ज है । नकल नामान्तरकरण संख्या 817 के अनुसार हुसना के स्थान पर श्योराम के नाम चाकरी सांसरी गिरी दर्ज करने का आदेश हुआ है । मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038 से 2057 की प्रमाणित प्रति और परत सरकार खाता 297 की प्रमाणित प्रति , प्रकरण संख्या 372/2016 में अंतिम दर्ज रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, माननीय राजस्व मण्डल में पेश अपील संख्या 5376/2017 की प्रमाणित प्रति, माननीय राजस्व मण्डल की आदेशिका की प्रमाणित प्रति एंव एफएसएल रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, तहसीलदार लाडपुरा के आदेश दिनांक 17.10.1957 की फोटो प्रतियॉ पेश की हैं ।

16. हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपील के साथ पेश किये गये दस्तावेजात का अवलोकन किया । रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपील में नकल जमाबन्दी संवत् 1984 से 86, 1998 से 2000, 2001 से 2004, 2006 से 2008, 2026 से 2029, 2029 से 2057 की पेश की गई हैं । नामान्तरकरण संख्या 817 की जो प्रमाणित प्रति पेश की गई है उससे यह तो प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक नहीं है परन्तु श्योराम को माफी चाकरी सांसरीगिरी के लिए प्रदान की गई थी । श्योराम की मृत्यु के उपरान्त तहसीलदार के आदेश दिनांक 02.06.2016 से रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 3 के खाते में दर्ज हुई थी और अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के आदेश दिनांक 31.05.2017 से इस इंतकाल के आगे विवादित अंकित किये जाने का आदेश दिया गया है जिसके खिलाफ अपील माननीय राजस्व मण्डल में लम्बित है ।

17. अपीलान्टगण का यह कथन है कि उनके पक्ष में एक वसीयत श्योराम ने दिनांक 13.02.2013 को निष्पादित की थी जिसको उनके द्वारा बाद में पंजीकृत करवाया गया था और वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा है । ऐसी स्थिति में उन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जावे । रेस्पोडेन्ट का यह कथन है कि यह वसीयत कूटरचित है । श्योराम के द्वारा अपने पोतों के पक्ष में वसीयत सन् 2015 में निष्पादित की गई थी जो कि उनकी अंतिम वसीयत है । ऐसी स्थिति में रिकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जावे । पक्षकारान के मध्य कुछ फौजदारी प्रकरण भी चलें हैं और अपीलान्ट के द्वारा इन फौजदारी प्रकरण में दर्ज की गई रिपोर्ट इत्यादि भी अपने कब्जे के समर्थन में पेश की है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्धरत नजीर डीएनजे 2009 (एससी) पेज 1069 के अनुसार फौजदारी प्रकरण के निर्णय/निष्कर्ष सिविल न्यायालय में ग्राह्य (admissible) नहीं होते है ।

18. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि एक वसीयत अपीलान्ट अपने पिता के पक्ष में सन् 2013 में श्योराम के द्वारा किये जाने का कथन करते हैं, जिसे कि श्योराम की मृत्यु के बाद पंजीबद्ध करवाया गया है और रेस्पोडेन्ट क्रम 5 लगायत 8 अपने पक्ष में सन् 2013 के वसीयत के बाद श्योराम के द्वारा सन् 2015 में वसीयत निष्पादित करने का कथन करते हैं । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व तय करने के लिए वसीयत की वैधता की जॉच करना अनिवार्य है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आरआरटी 2019 (1) पेज 184 के अनुसार वसीयत की वैधता राजस्व न्यायालय के द्वारा निर्णित नहीं की जा सकती । सिविल न्यायालय ही वसीयत की वैधता का निर्णय पारित कर सकते हैं । इन तथ्यों के आधार पर वादी अपीलान्ट का दावा प्रथमदृष्टया राजस्व न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है । तद्नुसार धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उन्हें इन तथ्यों के आधार पर कोई सहायता राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं दी जा सकती क्योंकि प्रथमदृष्टया उनका दावा राजस्व न्यायलाय में मेन्टेनेबल नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अपीलान्ट खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2016 बहाल रखा जाता है ।

20. निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/3/2021

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा